खराब/डिस्कलर्ड (रंगहीन) धान और चावल को अधिप्राप्ति के लिए एक समान विशिष्टता वाले धान और चावलों में छूट का अनुरोध किया था। तद्नुसार विशिष्टताओं में छूट दे दी गई थी और समुद्री तूफान से प्रभावित जिलों में 64,854 मी. टन धान और 1.46,600 मी. टन चावल खरीदा गया है। क्षतिग्रस्त हुई फसलों को खरीदने के लिए अन्य दो राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान केवल आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता की मांग का ज्ञापन प्रस्तुत किया। आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार का अनुरोध प्राप्त होने पर 1989-90 के दौरान बाढ़ सहायता के लिए 52.11 करोड़ रुपए के व्यय की सीमा अनुमोदित की गई थी। इसमें कृषि आदान के लिए 1.68 करोड़ रुपए की राज सहायता अपरदित क्षेत्र से सिल्ट हटाने के लिए 0.22 करोड़ रुपए तथा बालू हटाने के लिए 0.53 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है। वर्ष 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश तथा गुजरात की राज्य सरकारों ने उनके पास उपलब्ध सीमान्त धन से परे किसी केन्द्रीय सहायता की मांग नहीं की।

वर्ष 1990-91 के दौरान नौवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप सहायता व्यय के वित्तपोषण की योजना को 1 अप्रैल, 1990 से संशोधित कर दिया गया। इन संशोधित योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक आबंटित धनराशि से आपदा-राहत कोष स्थापित किए गए, जिसमें से 75% का योगदान केन्द्रीय सरकार द्वारा चार तिमाही किस्तों में गैर-योजना अनुदान के रूप में तथा शेष 25% राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद आपदा-राहत कोष एक समिति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी जिसकी अध्यक्षता राज्य का मुख्य सचिव करेगा जोकि सहायता के मानदण्डों सहित राहत व्यय से संबंधित सभी मामलों को निपटाएगी। आपदा-राहत कोष की स्थापना के बाद से अब यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न होने वाले समस्त व्यय को तब तक वहन करें जब तक कि कोई आपदा असामान्य रूप से प्रचण्ड न हो जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर संभाल करने की आवश्यकता है। वर्ष 1990-91 के लिए आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों को क्रमशः 86.00 करोड़ रुपये, 85.00 करोड़ रुपये और 37.00 करोड़ रुपए की धनराशि, आबंटित की गई है। मई 1990 के चक्रवात से हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश राज्य को 64.50 करोड़ रुपए की धनराशि का समूचा केन्द्रीय अंश निर्मुक्त किया गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश के मामले में केन्द्रीय राहत निधि का केन्द्रीय अंश निर्मुक्त किया गया है ताकि ये राज्य सरकारें बाढ़ से प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत उपलब्ध करा सकें।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

विभिन्न राज्यों में चक्रवात से प्रभावित धान की खरीद

3687. **श्री प्रभाकर राव कलवला** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों से धान की खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कितनी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई तथा इसका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन क्षेत्रों से अब तक सरकार ने कितना चावल खरीदा है; और

(ङ) इस बिक्री से किसानों को किस हद तक लाभ पहुंचा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश को राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को आन्ध्र प्रदेश के समुद्री तूफान से प्रभावित पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिलों में, अनुपत्र-1 में यथा उल्लिखित विनिर्दिष्टियों में कुछेक रियायतें देकर तूफान से प्रभावित धान और इन जिलों में ऐसी धान से उत्पादित मेला चावल की वसूली करने की इजाजत दे दी थी [देखिए परिशिष्ट 155, अनुपत्र संख्या-134] ये रियायतें 31 जुलाई, 1990 को समाप्त हो गई थी। तथापि, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा सुलभ की गई सूचनानुसार आन्ध्र प्रदेश में 1.99 लाख हैक्टेयर में धान की फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी जिससे लगभग 5.97 लाख मीटरी टन धान को नुकसान पहुंचा ।

(घ) और (ङ) किसानों की कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश में सरकारी एजेन्सियों द्वारा शिथिलित विनिर्दिष्टियों के अधीन धान और मेला चावल की निम्नलिखित मात्राएं वसूल की थी :—

(आंकड़े मीटरी टन में अनन्तिम)

जिले का नाम	धान	चावल
पूर्वी गोदावरी	5,609	26,379
पश्चिमी गोदावरी . . .	34,708	95,326
कृष्णा	22,377	21,411
गुन्टूर	2,160	1,856
खम्माम	—	1,307
नेल्लोर	—	321
	64,854	1,46,600

धान के हिसाब से यह मात्रा लगभग 2.85 लाख मीटरी टन बैठती है जो कि आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से प्रभावित अनुमानित धान का 47.63 प्रतिशत बैठती है । किसान सामान्य विनिर्दिष्टियों से कम विनिर्दिष्टियों की धान के लिए भी समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त कर सकते थे ।

Import of Sugar

3688. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the import of sugar are increasing year by year and if so, reasons therefor ?